लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
मैनुअल संख्या – 12
(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4(1)(ख)(XII))

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश के हरिद्वार जनपद में अनुदान/राजसहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये निःशुल्क बोरिंग का कार्यक्रम फरवरी 1985 से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम मात्र जिला योजना मद के अन्तर्गत ही क्रियान्वित होता है।

योजना का स्वरूप :

योजना के अन्तर्गत सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त लाभार्थियों को निजी लघु सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बोरिंग निर्मित कर उपलब्ध करायी जाती है तथा बोरिंग के उपयोग के लिए प्रत्येक बोरिंग पर एक पम्पसेट लगया जाता है। पम्पसेटों के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध है। बैक द्वारा प्राप्त ऋण से पम्पसेट स्थापित करने पर ही लाभार्थियों को अनुदान देय है।

इकाई लागत :

सामान्य जाति के लघु कृषक को 3000.00 रुपये तक तथा सीमान्त कृषक को 4000.00 रुपये तक की सीमा तक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक को 5000.00 रुपये की सीमा तक बोरिंग पर अनुदान उपलब्ध होगा।

निर्धारित लागत सीमा में बोरिंग पूर्ण करने के उपरान्त यदि धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि से निर्धारित अनुदान सीमा तक कृषक की बोरिंग पर पम्पसेट की एक्सेसरीज, रिफ्लेक्शन वाल्व/नॉन रिटर्न वाल्व, डिलिवरी पाइप इत्यादि उपलब्ध करा दिया जाता है और यदि लागत अधिक आती है तो अतिरिक्त व्यय सम्बन्धित लाभार्थी/कृषक द्वारा प्रचलित प्रकिया के अनुसार स्वयं वहन किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था :

वर्ष के लक्ष्य हेतु बोरिंग निर्माण एवं पम्पसेट अनुदान के लिए वांछित धनराशि की जनपदवार फाँट शासन द्वारा जिला सैक्टर के परिव्यय एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी उपलब्ध करायी गयी फाँट के अनुसार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को धनराशि अवमुक्त करेंगे, जिनकी सी0सी0एल0 मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा जारी की जाती है।

लक्ष्यों का निर्धारण :

क्षेत्र पंचायत (विकासखण्ड) हेतु लक्ष्यों का निर्धारण जनपद में अतिदोहित/ क्रिटिकल/सेमी क्रिटीकल विकासखण्डों की स्थिति, क्षेत्र में कार्यक्रम की मांग तथा भूजल विकास की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।

खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के लक्ष्य उपरोक्तानुसार अनुमोदित किये जायेंगे।

ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल संसाधन समिति की सहमति से अपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों से 25 प्रतिशत से अधिक की संख्या में लाभार्थियों का चयन कर सूची खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

लाभर्थियों का चयन :

कृषक की निःशुल्क बोरिंग के लिये चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. बहुउद्देश्यीय कर्मी द्वारा आर्थिक रजिस्टर के आधार पर ऐसे कृषकों की सूची तैयार की जायेगी जो चयन के लिए पात्र हों। इसके अतिरिक्त बोरिंग टैक्नीशियन द्वारा लघु सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्या 5257 दिनांक 16 दिसम्बर 2001 के क्रम में तैयार किये गये इनवेन्ट्री रजिस्टर से यह भी देखा जायेगा कि सम्बन्धित कृषक/लाभार्थी पूर्व में किसी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुआ है अथवा नहीं और यदि सम्बन्धित कृषक/लाभार्थी पूर्व में लाभ ले चुका है तो उसे पात्रता सूची से हटा दिया जायेगा।
2. बहुउद्देश्यीय कर्मी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा उक्त सूची के अनुसार इन कृषकों का विवरण रूप–पत्र–1 प्रति संलग्न कर अंकित कर पात्रता के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी।
3. इस सूची पर ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार किया जायेगा। यदि कोई कृषक अपना नाम चयन में लाना चाहता है तो उसका परिपत्र भरवाकर पात्रतानुसार चयन कर लिया जायेगा। अनुमोदित सूची क्षेत्र पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी को भेजी जायेगी।
4. खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित सूची के प्रत्येक चयनित लाभार्थी के रूपपत्र–1 पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र अंकित करेंगे।

चयन में प्राथमिकताएं एवं प्रतिबन्ध :

चयन में निम्न प्रतिबन्ध एवं प्राथमिकताएं होंगी :–

1. चयन करते समय यह ध्यान दें कि जो बोरवैल/नलकूप सीापित किये जा रहे हैं वहां खेती होनी चाहिए। इस बिन्दु पर कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करके विभाग के कार्यों से सम्बन्धित सूचना का आदान प्रदान कृषि विभाग से होना चाहिए।
2. जिन कृषकों की बोरिंग में पम्पसेट स्थापित किया जाना है उसके सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि प्रस्तावित नलकूप/पम्पसेट से लगभग 3.00 हैक्टेयर शुद्ध कृषि योग्य भूमि की सिंचाई सम्भव हो जाये।
3. अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों में चयन नहीं किया जायेगा।
4. समी क्रिटीकल विकासखण्डों में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत ही चयन किया जायेगा।
5. संस्थागत वित्त पोषित मामलों में बोरिंग/पम्पसेट के मध्य दूरी नाबार्ड द्वारा जनपद विशिष्ट के लिए निर्धारित दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।
6. समादेश क्षेत्र में नहर प्रणालियों के अन्तर्गत अन्तिम छोर (टेल एण्ड) के उन क्षेत्रों में जिनमें नहरों से पानी मिलने में विशेष कठिनाई है, कृषकों को चयन में प्राथमिकता देते हुए उनका कार्य भी प्राथमिकता के कराया जायेगा।
7. अम्बेडकर ग्रामों में बोरिंग निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
8. योजना में 0.5 हैक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों की व्यक्तिगत बोरिंग न की जाय। 0.5 हैक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों को प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में चिन्हित कर न्यूनतम चार या पांच कृषकों का समूह बनाया जाय और समूह बनने तथा उसके प्रभावी रूप से सक्रिय होने के उपरान्त समूह के लिये एक बोरिंग निर्मित की जाय। कृषकों के पारिवारिक विघटन एवं उत्तरोत्तर जोत में कमी होने के कारण समूह गठन पर विशेष बल दिया जाय।
9. नलकूपों को डिजाइन करते समय विभाग के अधिकारी प्रि–मानसून जल स्तर को ध्यान में रखें और उसी आधार पर नलकूप की गहराई इत्यादि निर्धारित करेंगे।

ऋण की स्वीकृति :

1. प्रत्येक लाभार्थी की बोरिंग प्रारम्भ करने के पूर्व उसे पम्पसेट हेतु ऋण स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। पम्पसेट की स्थापना हेतु उनके प्रार्थना पत्र, निर्धारित प्रपत्र पर औपचारिकता पूर्ण कराते हुए अनुमोदित चयन सूची के आधार पर बहुउद्देश्यीय कर्मी/बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन व अन्य अधिकारी जो इस कार्य हेतु अधिकृत हों, के द्वारा तैयार किए जायेंगे, जिन पर अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा तकनीकि प्लॉन अंकित कर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से बैंको को प्रेषित किये जायेंगे।
2. समस्त बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करना अनिवार्य है।
3. बैंकों द्वारा प्रार्थना पत्रों का तत्परता से परीक्षण करके प्राथनापत्रों पर निर्णय लिया जायेगा तथा ऋण स्वीकृति आदेश पत्र खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण स्वीकृति आदेश पत्र प्राप्त होने के उपरान्त बोरिंग कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

सामग्री व्यवस्था :

1. जनपद के लक्ष्यों के अनुरूप एम0एस0 पाइप से होने वाली बोरिंग हेतु सामग्री की मांग का आंकलन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता गत वर्ष के अवशेष को देखते हुए एम0एस0 पाइप की वास्तविक मांग अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेंगे, जिसकी व्यवस्था मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा क्रय नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।
2. सामग्री का वितरण विकासखण्डों में इस प्रकार किया जायेगा कि लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिये आवश्यक सामग्री विकासखण्डों में उपलब्ध रहे।
3. पी0वी0सी0 पाइप से निर्मित होने वाली बोरिंग हेतु पी0वी0सी0 पाइप व अन्य सामग्री की व्यवस्था कृषकों द्वारा स्वयं की जायेगी और इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0 204 दिनांक 13 फरवरी 1998 द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु उक्त शासनादेश के साथ संलग्न रूपपत्रों के स्थान पर वर्तमान में निर्गत शासनादेश सं0 5257 दिनांक 16.12.2001 के साथ संलग्न रूपपत्रों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही पूर्वोक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी 1998 द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के सापेक्ष अब सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत की जाने वाले धन की गणना हेतु सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई कुल अनुदान में से बोरिंग टेक्नीशियन के चार्जेज नहीं घटाएंगे।
4. शासनादेश दिनांक 16.04.1998 में की गयी व्यवस्था के अनुसार पी0वी0सी0 पाइप के क्रय हेतु अनुमन्य अनुदान का चैक सम्बन्धित कृषक के नाम निर्गत कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित कृषक द्वारा चैक को सहायक अभियन्ता/खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष इण्डोर्स करते हुए सम्बन्धित फर्म/डीलर को उपलब्ध कराया जायेगा अथवा लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त कृषक से अधिकार पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित डीलर/फर्म को सीधे भुगतान किया जायेगा। भुगतान हेतु दोनों व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था चुनने के लिए कृषक/लाभार्थी स्वतन्त्र होंगे।
5. अनुदान स्वीकृत करने हेतु पी0वी0सी0 पाइप तथा अन्य सामग्री की दरें निर्धारित करने हेतु शासनादेश संख्या 3251 दिनांक 23 अप्रैल 1998 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अन्तर्गत निम्न सदस्य रहेंगे, जो दरें निर्धारित करेंगे।

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकासअधिकारी/अपर जिलाधिकारी परियोजना	सदस्य
3.	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य

4. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग सदस्य
5. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई सदस्य

6. शासनादेश सं0 5257 दिनांक 16.12.2001 द्वारा निर्गत संसोधित रूप पत्र–3अ, अब एवं अस पर बोरिंग टेक्नीशियन/अवर अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों की सामग्री क्रय किये जाने एवं बोरिंग में प्रयुक्त किये जाने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
7. शासनादेश सं0 3253 दिनांक 23.04.1998 में की गयी व्यवस्था के अनुसार कृषक द्वारा सहमति दिये जाने की दशा में सामग्री क्रय हेतु आवश्यक आंशिक धनराशि मजदूरी के अंश से उपलब्ध करायी जा सकेगी।
8. कृषक द्वारा क्रय किये जा रहे पी0वी0सी0 पाइप एवं फिटिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 5633 दिनांक 22.11.2000 द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यवाही की जायेगी और भुगतान करने से पूर्व वे यह पुष्टि करेंगे कि पाइप की आपूर्ति करने वाला डीलर/उपडीलर आई0एस0आई0 लाइसेन्सधारी, निर्माता फर्म का अधिकृत डीलर है कि नहीं और उसके द्वारा फर्म से आई0एस0आई0 मार्क पाइप का वास्तव में क्रय किया गया है अथवा नहीं।

निःशुल्क बोरिंग का क्रियान्वयन :

1. प्रस्तर–7 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रार्थना पत्रों के आधार पर निःशुल्क बोरिंग करायी जायेगी।
2. निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए दर अनुसूची (शेड्यूल ऑफ रेट्स) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित/संसोधित किये जायेंगे। अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई दर अनुसूची के अनुसार कार्य कराये जाने के लिए उत्तरदायी होंगे और अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई यह सुनिश्चित करेंगे कि दर अनुसूची के अनुसार ही कार्य हो रहा है।
3. स्ट्रेनर बोरिंग में लगभग शत–प्रतिशत मामलों में प्रायः आई0एस0 कोड 4902/– के अनुसार 100 एम0एम0 के0जी0एफ0 पी0वी0सी0 पाइप व स्ट्रेनर का उपयोग किया जाता है। लोहे के पाइप की तुलना में पी0वी0सी0 पाइप की दक्षता अधिक होने के साथ ही सामग्री लागत कम होने से कैविटी बोरिंग में भी यथा सम्भव 5 के0जी0एफ0 का पी0वी0सी0 पाइप का प्रयोग किया जाये जब तक हाइड्रोजियोलॉजिकल परिस्थितियाँ एम0एस0 पाइप से बोरिंग हेतु बाध्य हेतु बाध्य न करें। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही इन क्षेत्रों में एम0एस0 पाइप

का प्रयोग किया जा सकेगा। एम0एस0 पाइप आई0एस0 कोट 4902 के अनुसार 100 एमएम. ब्यास लाइट क्लास का होगा।

4. अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के माध्यम से बोरिंग का कार्य करायेंगे। कार्य के सम्बन्ध में समय–समय पर इस विषय में जारी आदेश/निर्देश एवं वित्तीय नियमों को पूर्ण पालन किया जायेगा।

5. निःशुल्क बोरिंग योजना में डुप्लीकेसी की सम्भावना को रोकने के लिए खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अन्य योजनाओं में बोरिंग हेतु चयनित लाभार्थी की सूची प्रत्येक माह में सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध कराई जायेगी। लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना में बोरिंग की स्वीकृति के उपरान्त अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा सम्बन्धित बोरिंग टेक्नीशियनों को कृषकों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके अनुसार बोरिंग टेक्नीशियन समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बोरिंग कार्य पूर्ण करायेंगे। जिन मामलों में मजदूरी का भुगतान अनुमन्य अनुदान से किया जाना हो, उसके सम्बन्ध में बोरिंग प्रारम्भ करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग टेक्नीशियन को मस्टररोल उपलब्ध कराया जायेगा।

6. अवर अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि किसी भी बोरिंग पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय न हो। यदि सीमा के अतिरिक्त धन आवश्यक हो तो अन्तर की राशि नकद धन के रूप में जमा कराई जायेगी, अथवा कृषक द्वारा सामग्री श्रमांश आदि के रूप में व्यय की जायेगी।

7. बोरिंग पूर्ण होने पर बोरिंग कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र संशोधित रूपपत्र पर तैयार किया जायेगा, जिस पर मात्र लाभार्थी, बोरिंग टेक्नीशियन सम्बन्धित अवर अभियन्ता और ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। यह प्रमाणपत्र खण्ड विकास अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर सहित सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई तथा कृषकों ने जिस बैक से पम्पसेट लगाने हेतु ऋण किया है, उससे सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित किया जायेगा। यह प्रपत्र बोरिंग हस्तान्तरण को भी प्रमाणित करेगा।

8. पूर्ण बोरिंग की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी।

9. निःशुल्क बोरिंग कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा लोक लेखा पद्धति के अन्तर्गत कराया जायेगा। जिन मामलों में निर्धारित सीमा के भीतर बोरिंग का कार्य सम्भव है, समस्त कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कराकर श्रमांश का भुगतान सम्बन्धित मजदूरों को सीधे किया जायेगा।

10. निःशुल्क बोरिंग योजना में कृषक को अनुमन्य अनुदान से बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का वेतन भत्ता आदि काटने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गयी है। भविष्य में कृषक की अनुमन्य धनराशि से बोरिंग सेट का किराया ही काटकर राजस्व में जमा किया जायेगा।

पम्पसेट स्थापना, अनुदान स्वीकृति एवं समायोजन :

1. लक्ष्यों के सापेक्ष्य पम्पसेट अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश ग्राम्य सहाकरी ग्राम्य विकास बैंक को उपलब्ध करायेंगे। सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड विकास अधिकारी से मांग प्राप्त कर संकलित करेंगे और बैंकवार/शाखावार मांग अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करायेंगे। शासनादेश सं0 2670 दिनांक 20.01.1994 में की गयी व्यवस्था के अनुसार 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि देने के उपरान्त ऋण देने वाली संस्थाओं की नियमित बैठक कराकर उसका समायोजन करायेंगे।
2. पमपसेट अनुदान दिये जाने के बाद सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर समायोजन की कृषकवार, मासिक सूचना लघु सिंचाई विभाग को दी जायेगी। पूर्व में उपलब्ध कराये गये अग्रिम अनुदान राशि का समायोजन प्राप्त होने के उपरान्त ही लघु सिंचाई विभाग द्वारा अनुदान की अगली किस्त की धनराशि बैंक को दी जायेगी।
3. योजना के अन्तर्गत कृषक द्वारा स्थापित किये गये पम्पसेट के सत्यापन की सूचना पत्रावली बनाने वाले बहुउद्देश्यीय कमी अथवा अन्य अधिकारी ऋण वितरण होने के एक माह के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे। इस सूचना में जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र भी अंकित होगा जिसके लिये रूपपत्र का निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा अलग से किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी इस सूचना को सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रत्येक माह में प्रेषित करेंगे और यदि ऋण स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर कृषक द्वारा पम्पसेट स्थापित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित बैंक द्वारा कृषक से रिकवरी करने की निमयमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की जाय कि कृषक का पम्पसेट, ऋण की सम्पूर्ण रिकवरी होने तक बन्धक रखेगा और इस अवधि में पम्पसेट बेचा जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। पम्पसेट की स्थापना प्रमाण पत्र देने का उत्तरदायित्व पत्रावली बनाने वाले कर्मचारी का होगा, जिसका प्रमाणपत्र अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई व खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से बैंक व सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को भेजा जायेगा।
4. निःशुल्क बोरिंग योजना में कृषक को अनुमन्य अनुदान में से बोरिंग पम्पसेट का किराया ही काटकर राजस्त जमा किया जायेगा। बोरिंग सेट के किराये (डिप्रीशिएसन) की दरें अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित की जयेंगी।

5. विभागीय अधिकारी रूपपत्र–2 में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने स्तर से भी पम्पसेट का सत्यापन तीन माह के अन्दर करायेंगे और यदि अनुदान के दुरुपयोग का प्रकरण प्रकाश में आता है तो उसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता, सम्बन्धित बैंक, जिलाधिकारी तथा मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु देंगे।

6. सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था का यह दायित्व होगा कि इस प्रकार प्रकाश में आये दुरुपयोग के प्रकरणों में दिये गये अनुदान की धनराशि की वसूली करने लघु सिंचाई विभाग को वापस उपलब्ध करायें। ऐसे मामलों में अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रभावी अनुश्रवण करेंगे।

7. अनुदान समायोजन न होने वाले मामलों को शासन द्वारा विशेष गम्भीरता से लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी शिथिलता बरतेगा, तो उसके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8. लाभार्थियों को इस बात की पूरी छूट होगी कि वह अपनी पसन्द के आई0एस0आई0 मार्क पम्पसेट खुले बाजार में किसी भी इंजन/पम्पसेट निर्माता के अधिकृत विक्रेता से अपनी इच्छानुसार खरीद सके। बैंकों द्वारा पम्पसेट क्रय हेतु भुगतान लाभार्थियों के पक्ष में एकाउण्टपेयी चैक द्वारा किया जायेगा।

9. निःशुल्क बोरिंग योजना में स्थापित बोरिंग एवं पम्पसेट की क्षमता पर विचारोपरान्त यदि कृषक अधिक क्षमता का पम्पसेट चाहते हैं तो बोरवैल की क्षमता पम्पसेट की क्षमता के अनुसार निर्धारित की जायेगी। स्थापित किये गये पम्पसेट की सूची खण्ड विकास अधिकारी द्वारा क्षेत्र समिति की बैठक में रखी जायेगी। इसके उपरान्त कृषकों को देय छूट, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति पर बैंक द्वारा समायोजित की जायेगी। यदि क्षेत्र समिति की बैठक में बोरिंग न होने या भुगतान के दुरुपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र समिति का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी को भेजेंगे। मुख्य विकास अधिकारी प्रकरण के जांच के परिणामों से क्षेत्र समिति को अवगत करायेगे और दुरुपयोग के मामले में अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई से आवश्यक कार्यवाही करायेंगे।

गुणवत्ता नियन्त्रण एवं भौतिक सत्यापन :

1. कार्यक्रम की सफलता के लिए समयबद्ध ढ़ंग से लक्ष्य पूर्ति के साथ गुणवत्ता का उच्च स्तर आवश्यक होगा। कुल निष्पादित निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम का भौतिक सत्यापन तथा निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विभिन्न स्तरों से निरीक्षण/जांच /सत्यापन आवश्यक होगा।

2. योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्यों का सत्यापन ग्राम पंचायत की जल संसाधन समिति द्वारा समय–समय पर किया जयेगा। अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा बोरिंग पूर्ण होने पर उसकी सूचना ग्राम प्रधान एवं जल संसाधन समिति को देंगे तथा जल संसाधन समिति के अध्यक्ष के समक्ष बोरिंग चलाकर रूपपत्र–4 पर उनसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय कि बोरिंग सफलता पूर्वक कार्य कर रही है।

3. बोरिंग कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उसकी परिकल्पना, प्रयुक्त सामग्री की विशिष्टियां प्रस्तर 9.3 के अनुसार रहेगी। लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारी उक्त गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत उत्तनदायी होंगे।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त कृषकों द्वारा क्रय किये गये पी0वी0सी0 पाइप के सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई लक्ष्यों के 01 प्रतिशत मामलें में क्षेत्र का भ्रमण कर क्रय किये गये पाइप की सूचना लेकर विस्तृत विवरण अधिशासी अभियन्ता, आपूर्ति खण्ड को भेजेंगे तथा अधिशासी अभियन्ता, आपूर्ति खण्ड नमूने की इण्टरनल कोडिंग करते हुए इन नमूनों के परीक्षण हेतु ''सीपेट'' को भेजेंगे और परीक्षण के परिणामों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। नमूने लेते समय अधिशासी अभियन्ता के साथ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता उपस्थित रहेंगे तथा अवर अभियन्ता द्वारा पी0वी0सी0 पाइप के नमूने का लम्बाई के अनुसार मूल्य आंकलित कर मौके पर ही टी0आई0 से सम्बन्धित कृषकों को भुगतान कर दिया जायेगा। इसका वहन निःशुल्क बोरिंग की कण्टीजेन्सी से किया जायेगा। नमूने लेने की विस्तृत प्रक्रिया इत्यादि अधिशासी अभियन्ता, आपूर्ति खण्ड द्वारा मुख्य अभियन्ता के माध्यम से प्रसारित की जायेगी तथा आपूर्ति खण्ड द्वारा इसकी प्रत्येक माह समीक्षा कर आख्या मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई के माध्यम से शासन को प्रेषित की जायेगी।

5. कार्यक्रम में पारदर्शिता रखने के उद्देश्य से पूर्ण की गयी बोरिंग एवं स्थापित पम्पसेट की सूची सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों को नोटिस बोर्ड पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी और बैठक मे भी प्रस्तुत की जायेगी। वर्ष के अन्त में पूर्ण की गयी समस्त बोरिंग के लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी तथा क्षेत्र एवं जिला पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही उपरोक्त सूची समस्त जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

6. कार्यक्रम की गति बनाये रखने के लिये समय–समय पर क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। विभागीय अधिकारी भी समय–समय पर योजना के कियान्वयन की सीमक्षा करके मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई को अवगत करायेंगे।

सामान्य निर्देश :

1. लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित निःशुल्क बोरिंग के प्राक्कलन की प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी तथा लाभार्थी/कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

2. निःशुल्क बोरिंग योजना से सम्बन्धित मुख्य नियम, प्राविधान/नियमावली को को लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के भवन की दीवार पर प्रदर्शित किया जायेगा।

3. लाभार्थियों के चयन से लेकर ऋण स्वीकृत करने के स्तर तक की प्रक्रिया को पूर्ण कराने का दायित्व जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी का रहेगा। निःशुल्क बोरिंग कराने, लेखा पूर्ण कराने, अनुदान उपलब्ध कराने एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पूर्ण दायित्व जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई एवं खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई का होगा, जो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी होंगे। निर्मित कार्यों के मानक एवं दर अनुसूची निर्धारित करने का दायित्व वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई का होगा। पूर्ण योजना का संचालन एवं सामग्री की व्यवस्था तथा गुणवत्ता नियंत्रण का पूर्ण दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

4. बोरिंग प्रारम्भ से पूर्व कृषक, ग्राम प्रधान/जल संसाधन समिति के अध्यक्ष को यह अवगत कराने की व्यवस्था की जाय कि किस दिन बोरिंग प्रारम्भ की जायेगी। यह व्यवस्था भी की जाय कि जिस दिन बोरिंग प्रारम्भ हो उस दिन ग्राम में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित हो, जिसमें लाभार्थी, ग्राम प्रधान, जल संसाधन समिति के सदस्य तथा अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहें। साथ ही बोरिंग पूर्ण होने पर बोरिंग स्थल पर एक पट्टी लगाने की व्यवस्था की जाय, जिसमें यह उल्लेख हो कि किस लाभार्थी की बोरिंग हुई और कितना व्यव हुआ तथा किस बोरिंग टेक्नीशियन/ अवर अभियन्ता ने बोरिंग करायी है। उपरोक्त विवरण से सम्बन्धित पट्टी पम्पहाउस की दीवार पर लगायी जाय। इस मद में व्यय निःशुल्क बोरिंग कण्टीजेन्सी से किया जायेगा।

5. ग्राम स्तर पर कुल निर्मित बोरिंग की गणना कराकर प्रत्येक कृषक को बोरिंग की नम्बरिंग करते हुए इन्वेण्ट्री रजिस्टर हेतु निर्धारित रूपपत्र में उसका विवरण रखा जाय ओर इसकी सूचना कृषक, ग्राम पंचायत एवं जल संसाधन समिति को उपलब्ध कराया जाय।

6. कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर नियमित रूप से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

****

भूजल योजनाओं एवं लाभाधियों (एकल कृषक) की सूची विभाग की वैबसाइट WWW.minorirrigation.uk.gov.in पर Census के अन्तर्गत उपलब्ध है।